

तारीख हुयम	हुयम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुयम की तारीख जारी हुए	तारीख हुयम	हुयम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुयम की तारीख में जारी हुए
15/10/21	पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उपरिष्ठा। पत्रावली सुवर्णनगर कार्यालय में दिनांक 14-11-21 को पेश हो। <i>R</i>			एक पशुम बहल को सुना गया। वकील उपरिष्ठा ने माफिया पत्र के धरण संख्या-2 में वर्णित कृषिमा क्षति भूमि में प्रायोगिक के शान्तिपूर्ण कब्जे का मत एवं उपयोग में किसी भी तरह बाधा पैदा नहीं करने तथा प्रायोगिक को बैर रख नहीं करने हेतु एवं विक्रम नहीं करने हेतु विपक्षी संख्या-1 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का रजिस्ट्रार अद्वितीय वाद के निरन्तरण एक मौका एवं राजस्व रेकार्ड की प्रवर्धित विज्ञापित रखने हेतु बहल में कथन किया गया है। वकील उपरिष्ठा की एक पशुम बहल सुनने के पत्रमात पत्रावली का गहनता से अवलोकन कर परीक्षण किया गया उत्पन्न पाया गया कि प्रायोगिक का प्रथम दृष्टया सम्करण होकर सुविधा, सन्तुलन एवं अपूरणीय प्रति का विरुद्ध प्रायोगिक के पत्र में देने से विपक्षी संख्या-1 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रारम्भित में जारी किया जाना न्यायसंगत है। विपक्षी संख्या-2 से उत्पन्न माफिया पत्र में आवश्यक पत्रावली देने से इसके विरुद्ध कोई अनुसूच नहीं पाया गया है। अतः प्रायोगिक का प्रायोगिक पत्र अन्तर्गत द्वारा 212 राजस्वान कार्यालयी अर्धविक्रम 1955 का स्वीकार किया जाता है। तथा अद्वितीय किया जाता है कि मौजा पिकारदा के खाता सं. 15 में वर्णित क्षराजी नम्बर 1857, 1862, 1863, 1864, 1932, 1933, 1934, 2631, 1857, 588, 600, 600/2347, 695, 698, 749 क्रि.सं-14 लुलर नम्बा 5.6834 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 518 में वर्णित क्षराजी नम्बर 2641, 1933, 601, 756 क्रि.सं-1 रज.सं 0.5430 हेक्टेयर भूमि वादग्रस्त है। इसीलिए विपक्षी संख्या-1 को उक्त खातों में वर्णित क्षराजिमात की मौका एवं राजस्व रेकार्ड की प्रवर्धित विज्ञापित बनाये रखने तथा प्रायोगिक के कब्जे का प्रयोग में किसी प्रकार की बाधा देख नहीं देने हेतु मूल वाद के निरन्तरण देने तक अस्थायी निषेधाज्ञा के रजिस्ट्रार अद्वितीय से पावद किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में चिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली पेशात शुभा होकर नम्बर से मग हो। <i>R</i>	
14/11/21	पत्रावली पेश हुई/वकील उमय पक्ष एवं गवाह श्री..... अद्वितीय गण में उपरिष्ठा..... अस्थायी निषेधाज्ञा के अतः पत्रावली सुवर्णनगर दि. 28/11/21 को पेश हो। <i>R</i>				
9/11/21	पत्रावली पेश हुई/वकील उमय पक्ष एवं गवाह श्री..... अद्वितीय गण में उपरिष्ठा..... अस्थायी निषेधाज्ञा के अतः पत्रावली सुवर्णनगर दि. 28/11/21 को पेश हो। <i>R</i>				
20/2/21	पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उपरिष्ठा। पत्रावली सुवर्णनगर कार्यालय में दिनांक 29/10/21 को पेश हो।				
27/5/21	पत्रावली पेश हुई/वकील उमय पक्ष एवं गवाह श्री..... अस्थायी निषेधाज्ञा के अतः पत्रावली सुवर्णनगर दि. 1-7-21 को पेश हो। <i>R</i>				
01-7-21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रायोगिक उपरिष्ठा। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में विपक्षी गण के सम्मान नीचिह शर्मा के कर संलग्न पत्रावली है। विपक्षी गण को आवृत्ति - उगाई गई फिर भी उपरिष्ठा नहीं हुए न हो इनकी और से किसी ने उपरिष्ठा ही नहीं अतः विपक्षी सं. 1 से उत्पन्न के विरुद्ध एक पशुम कार्यालयी का अद्वितीय किया जाता है। वकील प्रायोगिक की				

अधिकृत अधिकारी
गुणन
जिला-चिसौड़गढ़

